

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ 15 ( ) 2014-15 / गोप्र / प्रमुवसं /

दिनांक:- जून, 2016

कार्यालय आदेश

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के नियम 25 के उप नियम (1) के अनुसार वर्ष 2015-16 में वनपाल से क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर पदोन्नति दिए जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 22.3.2016 को आयोजित हुई। जिसमें श्री रतन लाल माली पुत्र नृसिंह माली वनपाल को उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) के ज्ञापन क्रमांक 78/सी दिनांक 16.2.2016, से सी.सी.ए. 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किए जाने के कारण अभिशंषा बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

उक्त प्रकरण में उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) के आदेश क्रमांक 222-26 दिनांक 11.5.2016 द्वारा इन्हे दोषमुक्त किए जाने के फलस्वरूप विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा बन्द लिफाफे में रखी गई सिफारिश को दिनांक 31.5.2016 को खोले जाने पर इन्हे क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने पर इन्हे क्षेत्रीय द्वितीय के वेतनमान 9300-34800 पे बैण्ड-2 ग्रेड पे-(10) 3600 में पदोन्नति पश्चात नवीन पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण अनुसार किए जाने के आदेश प्रचलित किए जाते हैं:-

| क्र.स. | नाम कर्मचारी श्री | पिता का नाम श्री | वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम | नवीन पदस्थापन कार्यालय का नाम |
|--------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1      | रतन लाल माली      | नृसिंह माली      | उप वन संरक्षक जयपुर (उत्तर)      | मुख्य वन संरक्षक, जयपुर       |

मुख्य वन संरक्षक, जयपुर अपने वृत्ताधीन क्षेत्रीय के रिक्त पद पर विभागीय स्थानान्तरण नीति के आधार पर ही पदस्थापन आदेश जारी कर क्षेत्रीय द्वितीय पर दी गई उपस्थिति तिथि से इस कार्यालय को अवगत करावें।

श्री रतन लाल माली वनपाल द्वारा दिनांक 5.7.2016 तक क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर नवीन पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति नहीं देने पर यह मान लिया जावेगा की ये पदोन्नति के इच्छुक नहीं है एवं इस अवसर को फोरगो (Forgo) मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

९०

(डा० एस.एस.चौधरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ)

राज.जयपुर

क्रमांक:- एफ 15 ( ) 2014-15 / गोप्र / प्रमुवसं / 2122-2127 / दिनांक:- 23, जून, 2016  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर /

2. उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) को प्रेषित कर लेख है कि श्री रतन लाल माली वनपाल को तत्काल भारमुक्त कर नवीन पदस्थापन कार्यालय में दिनांक 5.7.2016 तक उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।

3. प्रतिलिपि कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभाग की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

4. श्री रतन लाल माली, वनपाल कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)।

5. क्षेत्रीय अनुभाग, कार्यालय हाजा

6. रक्षी पत्रावली।

(डी.पी.जागावत)

उप वन संरक्षक (प्रस्था. अरा.)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राज.जयपुर